उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

लिखित याचिका (एस/बी) सं। 2012 का 358

डॉ. राकेश कुमार पंत

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

प्रतिवादी

उपस्थित:याचिकाकर्ता के वकील श्री संदीप अधिकारी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज तिवारी।श्री K.P। उपाध्याय, राज्य के लिए मुख्य स्थायी वकील/प्रतिवादी सं। 1 और 2।श्री शोभित सहारिया, प्रतिवादी सं. 3 और 4.

कोरमःमाननीय बारीन घोष, C.J., माननीय U.C. ध्यानी, J.

बैरीन घोष, C.J। (मौखिक)

हम चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण महानिदेशक के पद पर पदोन्नति के साथ इस रिट याचिका में चिंतित हैं।उक्त पद पर पदोन्नति भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के से बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती है, जिसका शीर्षक उत्तराखंड चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा नियम, 2009 है।उक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम (i) ने मूल रूप से उक्त पद पर पदोन्नति के मानदंडों को नियंत्रित किया।उक्त नियम नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"मूल रूप से नियुक्त निदेशकों में से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने 1 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, जैसा कि क्रम संख्या में उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 3 का 2 और योग्यता के आधार पर भर्ती वर्ष के पहले दिन कुल छब्बीस वर्ष की सेवा।लेकिन यदि पर्याप्त संख्या में उपयुक्त योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो निदेशक के रूप में एक वर्ष की सेवा की अवधि को कम किया जा सकता है।

2. 18 अगस्त, 2011 को निम्नलिखित प्रतिस्थापन द्वारा उक्त नियम में संशोधन करने का प्रयास किया गया थाः

"मूल रूप से नियुक्त निदेशकों में से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने 1 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, जैसा कि क्रम संख्या में उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 3 का 2 या योग्यता के आधार पर भर्ती वर्ष के पहले दिन कुल 26 साल की सेवा, लेकिन यदि पर्याप्त संख्या में उपयुक्त योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो निदेशक के रूप में एक साल की सेवा की अवधि को कम किया जा सकता है।

3. इसलिए, "परिशिष्ट 3" और "कुल 26 वर्ष" शब्दों के बीच "और" शब्द को "या" शब्द से बदल दिया गया।यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो एक वर्ष के लिए निदेशक के रूप में सेवा करने के लिए पात्रता कारक को कम किया

जा सकता है, लेकिन 26 साल की सेवा के लिए पात्रता कारक को कम नहीं किया जा सकता है।यह तर्क दिया गया कि यह संशोधन का इरादा था।जाहिर तौर पर ऐसा ही लग रहा है।यदि पात्रता कारक दो अलग-अलग हैं, अर्थात् (i) निदेशक के रूप में एक वर्ष की सेवा और (ii) विभाग में 26 वर्ष की सेवा, तो निदेशक, जिन्होंने एक वर्ष के लिए निदेशक के रूप में कार्य किया है, पात्र होंगे और साथ ही, निदेशक, जिन्होंने एक वर्ष के लिए निदेशक के रूप में कार्य नहीं किया है, लेकिन 26 वर्ष के लिए विभाग में कार्य किया है, वे भी पात्र होंगे और साथ ही, उपयुक्त योग्य उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, निदेशक के रूप में एक वर्ष की सेवा की अवधि को कम किया जा सकता है।यह आग्रह किया गया था कि इसका कोई मतलब नहीं है।यद्यपि यदि तीन प्रकार के निदेशक हैं, अर्थात् (i) निदेशक के रूप में एक वर्ष का अनुभव रखने वाले, लेकिन विभाग में 26 वर्ष से कम सेवा रखने वाले निदेशक; (ii) निदेशक के रूप में एक वर्ष से कम अनुभव रखने वाले और विभाग में 26 वर्ष से कम सेवा रखने वाले निदेशक; और (iii) निदेशक के रूप में एक वर्ष से कम अनुभव रखने वाले लेकिन विभाग में 26 वर्ष की सेवा रखने वाले निदेशक, तो पर्याप्त संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निदेशक की दूसरी श्रेणी को निदेशक के रूप में एक वर्ष की सेवा की अवधि को कम करके चयन प्रक्रिया में लाया जा सकता है, क्योंकि पहली और तीसरी श्रेणी के निदेशक संशोधन के कारण पात्र होंगे।यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विधायी इरादे को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।हम उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को अभी तक निदेशक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है।वर्तमान में निदेशकों के चार पद खाली पड़े हैं।निकट भविष्य में दो और पद खाली होने की संभावना है।पहले दो पद दिसंबर 2011 में, तीसरा पद जून 2012 में और अंतिम पद जुलाई 2012 में खाली हुआ था।हमें बताया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति पहले से ही अतिरिक्त निदेशकों की योग्यता का पता लगाने के मामले पर विचार कर रही है, जिन्हें वर्तमान में उपलब्ध उन चार रिक्त पदों पर पदोन्नत किया जा सकता है और वे दो और अतिरिक्त निदेशकों की योग्यता पर भी विचार कर रहे हैं, जिन्हें निकट भविष्य में रिक्त होने वाले पदों में समायोजित किया जा सकता है।यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मंजूरी दे दी गई है, यह सुझाव देगा कि वह निदेशक के पदों में से एक पर कब्जा करने का हकदार होगा।एक बार जब वह निदेशक के पद पर आसीन हो जाता है, और यदि उसने विभाग में 26 वर्षों तक सेवा की है, तो वह स्वचालित रूप से महानिदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र हो जाएगा, नियमों के अनुसार, एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि, मूल नियुक्ति के लिए एक निवारक नहीं है।यदि याचिकाकर्ता ने 26 वर्षों तक विभाग में सेवा नहीं की है, तो वह तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि यह निर्णय नहीं लिया जाता है कि निदेशक के रूप में सेवा की आवश्यकता को एक वर्ष के लिए कम किया जाए जैसा कि नियमों के से अनुमेय है।याचिकाकर्ता के अनुसार, उपयुक्त योग्य उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध पदों का तीन गुना होगी, लेकिन आठ से कम नहीं, जैसा कि चयन द्वारा उत्तराखंड पदोन्नति (लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर के पदों पर) पात्रता सूची नियम, 2003 के नियम 4 में प्रावधान किया गया है।

5. चूंकि विभागीय पदोन्नति समिति को निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त अतिरिक्त निदेशकों के चयन का मामला संज्ञान में है, इसलिए हम विभागीय पदोन्नति समिति को निदेशक के पद पर अतिरिक्त निदेशकों की पदोन्नति के मामले को जल्द से जल्द समाप्त करने का निर्देश देते हैं।

6. हम, साथ ही, राज्य सरकार को महानिदेशक के पद में रिक्तियों की आपूर्ति के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देते हैं, जो पद 30 जुलाई, 2012 से खाली है।सरकार की ओर से निदेशकों का चयन करना उचित होगा, जो विभागीय पदोन्नति समिति के बाद महानिदेशक का पद संभालेंगे और निदेशक के पदों पर पदोन्नत होने के लिए अतिरिक्त निदेशकों की सिफारिश की जाती है और ऐसी

सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं, क्योंकि यह संभव हो सकता है कि महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले निदेशकों पर विचार करते समय पात्रता का पता लगाते समय सरकार को यह प्रतीत हो कि पर्याप्त संख्या में उपयुक्त योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं और तदनुसार, निदेशक के रूप में एक वर्ष की सेवा की अवधि को कम करने की आवश्यकता है।

7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, हम रिट याचिका का निपटारा करते हैं।

(U.C। ध्यानी, जे.) 26.11.2012

(बारीन घोष, C.J.) 26.11.2012

पी. सिंह